लोक सम्पर्क विभाग, चण्डीगढ़ प्रशासन

www.chandigarh.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति

चण्डीगढ़, 15 मार्च - पंजाब के राज्यपाल और यूटी चण्डीगढ़ के प्रशासक श्री शिवराज वी. पाटिल ने आज यूटी सचिवालय में आयोजित जन सुनवाई सत्र की अध्यक्षता की। सुनवाई सत्र के दौरान कुल 28 मामले आए जिनमें से अधिकतर घर और बूथ का आबंटन, अनुकम्पा आधार पर नौकरी, एनटीटी अध्यापकों को पुनः रोजगार और कॉपरेशन कर्मचारी के खिलाफ शिकायत से संबंधित थे। प्रशासक ने विभिन्न प्रतिनिधि मंडलों और व्यक्तियों की शिकायतों को ध्यान से सुना। अनेक शिकायतों का मौके पर ही समाधान किया गया और ऐसी शिकायतें जिनमें जांच की आवश्यकता थी उनके संबंध में वरिष्ठ अधिकारियों को कानून के तहत तुरन्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया ताकि आवेदकों को नियत समय पर न्याय मिल सके।

श्री पाटिल ने कहा कि अधिकतर समस्याएं घर और बूथ का आबंटन व अनुकम्पा आधार पर नौकरी की प्रार्थना करते शोकाकुल परिवार के सदस्यों से संबंधित है। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को साधारण मुद्दों को उनके स्तर पर ही निपटाने का निर्देश दिया और साथ ही आवेदकों के प्रति सहानुभूति से भरा दृष्टिकोण अपनाने की वकालत की।

चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड द्वारा जमा धन की वापसी से संबंधित मांग पर प्रतिक्रिया करते हुए श्री पाटिल ने कहा कि सीएचबी और इसके साझेदारों के मध्य किसी भी आंतरिक मतभेद का असर परियोजना के लाभार्थियों पर नहीं होना चाहिए।

चण्डीगढ़ सफाई कर्मचारी यूनियन से संबंधित मुद्दे पर प्रशासक ने नगर निगम आयुक्त को कानून के दायरे में मामले की जांच करने के

लिए कहा। वरिष्ठ नागरिक द्वारा अपने ही बेटे के खिलाफ की गई उत्पीड़न की शिकायत पर श्री पाटिल ने आईजी पुलिस को आवश्यक कार्रवाई करने और पूर्ण न्याय सुनिश्चित करने के लिए कहा।

जन-सुनवाई सत्र के दौरान यूटी प्रशासक के सलाहकार श्री प्रदीप मेहरा, राज्यपाल के सचिव श्री एम.पी. सिंह, वित्त सचिव श्री संजय कुमार, नगर निगम आयुक्त डॉ. रोशन संकारिया, चण्डीगढ़ हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन श्री मोहनजीत सिंह, आईजी पुलिस श्री प्रदीप श्रीवास्तव और एडीसी कैप्टन पी.एस. शेरगिल मौजूद थे।